न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

हरिराम बनाम हरकेश
वाद संख्या– 02/135/2023

15.07.2023 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया किया कि अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 1079/0.03 गै.मु. चाह वाके ग्राम सकट तहसील राजगढ जिला अलवर जो वादीगण वो प्रतिवादीगण की सामलाती चाह है जिसमें अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण जबरन किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य न करें व ना ही नवीन रास्ता कायम करें, न वादीगण/प्रार्थीगणकों चाह गुणी के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत पैदा न करे। न वादीगण/प्रार्थीगण के साथ कोई झगडा फिसाद करें मौके की स्थिति यथावत् बनाये रखे। साथ में शपथ पत्र पेश है।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 31/08/2023 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1079/0.03 गै.मु. चाह वाके ग्राम सकट तहसील राजगढ जिला अलवर में कोई निर्माण कार्य नही करे। एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 31/08/2023 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

31/8/23 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 17.11.23 को पेश हो।

रीडर

17/11/23 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 19/12/24 को पेश हो।

रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
23/7/25 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक ..../..../.... को पेश हो। रीडर 05.08.25 पत्रावली इक जाई तारीख से पेश। वास्ते पेश होने तलबी अप्रार्थी 4,5 दिनांक 29/8/25 को पेश हो। SDO 29.08.25 पत्रावली पेश हुई। मूलवाद 09R5 non-compliance के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के साथ संलग्न हो। SDO	